मूल आवेदन पत्र पत्रावली हल्का की रिपोर्ट के आधार पर नामनिवास कीरत्या आत्मज प्रहलाद उम्मेदी कि हीरालाल जाति मीना के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में कमलेश पुत्र हीरालाल नाम जुड़वाना चाहते है। किन्तु सबूत में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। कमलेश भी कैम्प उपस्थित हुआ नाही इनके दर्ज रिकार्ड खातेदारी में अंकित भाई भी उपस्थित नही हुए। खातेदारी में दर्ज भाइयों के सहभाई के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। रिपोर्ट प्रेषित है

(5)

दिनांक 1/12/5117 को प्रार्थना धारा 136 LR Act के तहत उपखण्ड अधिकारी के द्वारा निवेदन किया है कि जमाबन्दी में उसका नाम दर्ज कर दिया जावे। इस पर तहसीलदार करौली से रिपोर्ट तलब किया। तहसीलदार करौली द्वारा प्रार्थिया से साक्ष्य सबूत पेश करने को कहा लेकिन प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं करने के कारण प्रार्थना धारा 136 LR LR Act अति तेजजर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

पार्ट A

रवर्क
र्द अहकाम
र्जी दावा/प्रा.पत्र/अपी
बांव दावा/प्रा.पत्र
र्चा तनकीयात
र्णय
ड़क्री
न्य

C

ता रजिस्टर्ड
स्तावेजात मुताबिक फर्द
र्द फार्म
तफरिक प्रा.पत्र

A+B+C+D :